उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"

चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या :7883 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक :08/08/2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषयः– क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के विरूद्ध रेड्स की कार्यवाही के उपरान्त निर्धारित समयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा रेड्स की कार्यवाही के उपरान्त विद्युत चोरी के प्रकरणों में प्रक्रिया सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही करने में विद्युत अधिनियम–2003 के संगत प्राविधानों एवं उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित सामयिक मानकों (Time bound standards) के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः संदर्भित किया जाता है:–

1. रेड टीमों द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड 8.1 (a) (xi) में दिये गये प्राविधानानुसार रेड डाले जाने एवं ऐसे अवैध विद्युत संयोजन को विच्छेदित किये जाने के **24 घण्टे** के अन्दर सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाये।

2. विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ0आई0आर0 समय से दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करना रेड टीम के प्रभारी आधिकारिक का दायित्व होगा।

3. यदि सम्बन्धित पुलिस थाने द्वारा विद्युत चोरी के सम्बन्ध में रेड टीम द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर अधिकतम **3 दिन** के अन्दर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण खण्ड) द्वारा उस क्षेत्र के सर्किल ऑफीसर (पुलिस)/पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से सूचित किया जाये एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण मण्डल) द्वारा इसका समुचित संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन से समयबद्ध कार्यवाही हेतु आवश्यक सम्पर्क किया जाए एवं पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया जाय, जिसकी प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0पा0का0लि0 को भी प्रेषित कर सूचित किया जाए।

4. रेड टीम प्रभारी द्वारा रेड्स से सम्बन्धित चेकिंग रिपोर्ट यथासम्भव रेड्स डाले जाने वाले दिन अथवा अधिकतम **24 घण्टे** के अन्दर सम्बन्धित वितरण खण्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

5. वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि रेड टीम की चेकिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके आधार पर अधिकतम **तीन (3) कार्य दिवसों** के अन्दर विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्ति को प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल निर्गत/प्रेषित किया जाए।

क्रमशः–2

6. अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपर्युक्त निर्गत/प्रेषित प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल में सम्बन्धित व्यक्ति को **15 कार्य दिवसों** का समय देते हुए (निर्धारित तिथि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए) उस बिल पर, प्रतिवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

7. (a) अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल पर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में, पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार उस पर सुनवाई करते हुए, उसके **सात (7) कार्य दिवसों** के अन्दर ऐसे व्यक्ति को, अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल निर्गत/प्रेषित किया जाएगा।

(b) यदि वितरण खण्ड द्वारा निर्गत प्रोविजिनल राजस्व निर्धारण बिल पर सम्बन्धित व्यक्ति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि के **तीन (3) कार्य दिवसों** के अन्दर उसे अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल जारी/प्रेषित कर दिया जाएगा।

8. उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उपभोक्ता को अन्तिम राजस्व निर्धारण बिल निर्गत किये जाने के उपरान्त भुगतान हेतु निर्धारित तिथि तक उसके द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में उसके सात (7) कार्यदिवसों के उपरान्त उसे **धारा–3** के अन्तर्गत नोटिस जारी/प्रेषित किया जाएगा एवं बिल जमा करने हेतु अन्तिम रूप से **30 कार्य दिवसों** (निर्धारित तिथि का उल्लेख करते हुए) का समय दिया जाएगा।

9. सम्बन्धित व्यक्ति/उपभोक्ता द्वारा निर्धारित तिथि (जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या (8) में उल्लिखित है) तक धारा–3 के अन्तर्गत राजस्व निर्धारण बिल जमा न किये जाने की स्थिति में, भुगतान हेतु निर्धारित तिथि के **सात (7) कार्य दिवसों** के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, वितरण खण्ड द्वारा **धारा–5** के अन्तर्गत रिकवरी हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति/उपभोक्ता को नोटिस निर्गत/प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

10. उपर्युक्त बिन्दु संख्या **(06)** से बिन्दु संख्या **(09)** में किये उल्लेखानुसार विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को निर्गत/प्रेषित किये जाने वाले बिल/नोटिस को रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित किया जाये। यदि उपभोक्ता को प्रेषित बिल/नोटिस (लिफाफा) अनडिलीवर्ड होकर खण्डीय कार्यालय में वापस आता है तो उसे खोला न जाए एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा उस बन्द लिफाफे को पत्रावली के साथ सुरक्षित रखा जाये ताकि आवश्यकतानुसार मा0 न्यायालय में उस अनडिलीवर्ड लिफाफे को इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा सके, कि विभाग द्वारा नोटिस का प्रेषण निर्धारित तरीके से ही किया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार समयबद्ध मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने वितरण निगम के सभी सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें।

Aparna U

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 783/मु0अभि0(वाणिज्य–II)/तद्दिनांक: 08/08/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–II),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/ आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

का.स. (अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक
1.8.19